

फा.सं. 50016/20/2020 प्रशासन I (ई-16245)

भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

प्रथम तल, चंद्र लोक बिल्डिंग,
जनपथ, नई दिल्ली
दिनांक 5 मार्च, 2024

परिपत्र

विषय: मत्स्यपालन विभाग में चार सलाहकारों की नियुक्ति के संबंध में।

मत्स्यपालन विभाग सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों (यू.एस./एस.ओ./ए.एस.ओ.) से चार (4) परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है, जो पूरी तरह से अनुबंध के आधार पर होंगे। पात्रता मानदंड, संदर्भ की शर्तें आदि के बारे में विवरण निम्नानुसार हैं। -

पद का नाम	मांग	योग्यता	
सलाहकार (स्थापना)	3	केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से यूएस/एसओ/एएसओ या समकक्ष पद से सेवानिवृत्त होना चाहिए। वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक।	केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के स्थापना, रोकड़ एवं लेखा, सामान्य प्रशासन, समन्वय, संसद, बजट, आरटीआई और प्रोटोकॉल में अनुभव। ई-ऑफिस, नोटिंग ड्राफ्टिंग, पीएफएमएस, भविष्य, जीईएम और कराधान पोर्टल का ज्ञान।
सलाहकार (आईएफडी)	1	केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से यूएस/एसओ/एएसओ या समकक्ष पद से सेवानिवृत्त होना चाहिए। वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक।	वित्त / आईएफडी / बजट संबंधी मामलों में अनुभव या वेतन एवं लेखा कार्यालय में अनुभव या लेखांकन कार्य में अनुभव

2. इन सलाहकारों की नियुक्ति की शर्तें और नियम व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या- 3-25/2020-ई-II ए दिनांक 09.12.2020 द्वारा निदेशित होंगे।

3. नियुक्ति पूर्णतः अनुबंध के आधार पर होगी और प्रारम्भ में इसकी अवधि छह माह होगी, तथा आवश्यक समीक्षा के अधीन अवधि बढ़ाई जा सकती है।

3. उपयुक्त सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी/कर्मचारी जो अनुलग्नक I में दिए गए नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के लिए पात्र और इच्छुक हैं, वे इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर नीचे हस्ताक्षरकर्ता को विधिवत भरे हुए बायो-डेटा (अनुलग्नक II) के साथ पीपीओ/पेंशनर कार्ड की एक प्रति के साथ स्पीड पोस्ट/ई-मेल द्वारा आवेदन भेज सकते हैं या admn-fishery@dof.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार में भाग लेने की आवश्यकता होगी, जिसकी सूचना आवेदक को उचित रूप से दी जाएगी।



(कृष्ण पाल)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेली: 011-2331 0374

ई-मेल : admn-fishery@dof.gov.in

सेवा में,

1. एनआईसी, मत्स्यपालन विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
2. अवर सचिव (सीएस-1), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि इसे व्यापक प्रचार के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

सामान्य नियम और शर्तें

1. संविदा नियुक्ति पूरी तरह से अनुबंध के आधार पर होगी और नई दिल्ली स्थित मत्स्यपालन विभाग में संलग्न होगी। वह सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार एसओ/यूएस स्तर के अधिकारियों को रिपोर्ट करेगा।
2. आवेदक केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों से सेवानिवृत्त होना चाहिए। वह अधिमानतः केवल दिल्ली/एनसीआर का निवासी होना चाहिए।
3. परामर्शदाता को किसी भी प्रकार के भत्ते और आवासीय सुविधा का अधिकार नहीं होगा। उन्हें टेलीफोन सुविधा, परिवहन सुविधा और स्टाफ कार का भी अधिकार नहीं होगा।
4. परामर्शदाता की नियुक्ति पूर्णतः अनुबंध के आधार पर होगी।
5. परामर्शदाता के लिए नियुक्ति अवधि शुरू में छह महीने की अवधि के लिए होगी या जब तक पद नियमित रूप से भरा नहीं जाता है, जो भी पहले हो। इस अवधि को इस विभाग के पूर्ण विवेक पर समीक्षा के अधीन बढ़ाया या घटाया जा सकता है। परामर्शदाता की आयु 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
6. परामर्शदाता कैलेंडर वर्ष के दौरान 08 दिनों की छुट्टी के लिए पात्र होंगे। यदि इस विभाग द्वारा नियुक्ति अवधि बढ़ा दी जाती है तो यह छुट्टी आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। साथ ही, अनुबंध की समाप्ति के समय अप्रयुक्त छुट्टियों के बदले में इस विभाग द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
7. अभ्यर्थी को सार्वजनिक खरीद के लिए सत्यनिष्ठा संहिता (सी.आई.पी.पी.) का पालन करने के लिए एक गैर-प्रकटीकरण वचनबद्धता और घोषणा पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा।
8. यदि परामर्शदाता निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं कर पाता है या उसे सौंपा गया कार्य विभाग को संतोषजनक नहीं लगता है या उसमें ईमानदारी और निष्ठा की कमी पाई जाती है तो विभाग उसकी सेवाएं समाप्त कर सकता है।
9. विभाग बिना कोई नोटिस दिए और बिना कोई कारण बताए किसी भी समय परामर्शदाता की सेवाएं समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा। परामर्शदाता की नियुक्ति से व्यक्ति को पद पर स्थायी नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।
10. सलाहकारों को शनिवार, रविवार और अन्य राजपत्रित छुट्टियों पर कार्यालय में बुलाया जा सकता है या काम की अनिवार्यता के मामले में कार्यालय समय के बाद देर तक कार्यालय में बैठने के लिए कहा जा सकता है। इसके लिए कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाएगा।

11. परामर्शदाता, परामर्शदाता के रूप में अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान पेंशन और पेंशन पर महंगाई राहत, यदि कोई हो, प्राप्त करना जारी रखेंगे। परामर्शदाता के रूप में उनकी नियुक्ति को पुनर्नियुक्ति का मामला नहीं माना जाएगा।

12. परामर्शदाता को सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13. निवास और कार्यस्थल के बीच आवागमन के लिए परिवहन भत्ते की उचित और निश्चित राशि दी जाएगी, जो सेवानिवृत्ति के समय लागू दर से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार निर्धारित की गई राशि नियुक्ति की अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी।

14. यदि अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई घोषणा या दी गई सूचना झूठी पाई जाती है या यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने जानबूझकर कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाई है, तो उसे सेवा से हटाया जा सकता है तथा सरकार द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है।